

उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय,  
बड़ौदा हाउस,  
नई दिल्ली।

P.S.No.13500 / 244.

पं.सं. 89P/ 6 CPC / 09 / Pass/ EIV.

दिनांक:-/0/ 01/ 2011.

समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक  
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय  
( मानक सूची के अनुसार )

<http://www.nrmu.net>

विषय:- Revised pay limits for entitlement of Passes / PTOs  
on the basis of Pay drawn in the Railway Services (Revised  
Pay ) Rules, 2008.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(W) 2008 / PS 5-1/ 38 दिनांक 06/01/2011  
(RBE No.03/2011) की प्रतिलिपि अपने अनुलग्नकों सहित सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही  
हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

कृपया इस पत्र की पावनी अवश्य भेजें।

संलग्न/संशोधक

(Harvinder Singh)  
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव; एनआरएमयू; 12 चेम्सफोर्ड रोड; नयी दिल्ली
3. महासचिव; अ०भा०अ०जा०/अ०ज०जा० रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी  
लाजपतनगर, नई दिल्ली-24
4. महासचिव; अ०भ०अ०पि०व० रेल कर्मचारी-संगठन 171/ए; 3 बसंत लेन नई दिल्ली।